

पत्रांक : ५प / राज्य स्कीम-०२-०६/२०२५/ १३(आ०) पं०रा०
 बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

नजर हुसैन,
 संयुक्त सचिव

सेवा में

जिला पदाधिकारी,
 मधेपुरा।

पटना, दिनांक १४।५।२०२५

विषय : वित्तीय वर्ष २०२५-२६ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या ०८(स्वी०) दिनांक २५.०४.२०२५ के आलोक में कुल ₹५,००,०००.०० (पाँच लाख रूपये) मात्र की अनुग्रह अनुदान की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय संकल्प संख्या ५४८२ दिनांक ०१.१०.२०१८ के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या ०८(स्वी०) दिनांक २५.०४.२०२५ द्वारा वित्तीय वर्ष २०२५-२६ में स्व० भूपेन्द्र यादव, वार्ड सदस्य, ग्राम पंचायत-भवानीपुर, प्रखंड-सिंहेश्वर, जिला-मधेपुरा के मृत्यु के फलस्वरूप उनके आश्रित को कुल ₹५,००,०००.०० (पाँच लाख रूपये) मात्र की अनुग्रह अनुदान की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

२. उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष २०२५-२६ में जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को ₹५,००,०००.०० (पाँच लाख रूपये) मात्र की अनुग्रह अनुदान की राशि आवंटित की जाती है।

३. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष २०२५-२६ में राज्य स्कीम अंतर्गत "मुख्य शीर्ष-२५१५-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-००-लघुशीर्ष-००१-निदेशन एवं प्रशासन-उपशीर्ष-०१०१-मुख्यालय पंचायत की स्थापना" मद के विषय शीर्ष '०१०१.३७.०१-अनुग्रह अनुदान' से किया जायेगा। इसकी मांग संख्या-१६ एवं विपत्र कोड संख्या १६-२५१५०००१०१०१ है।

४. यहाँ आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-४-०५/९८-२५६१ वि(२) दि० १७ अप्रैल १९९८ एवं पत्रांक २२७ दिनांक २८.०३.२०२५ में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

५. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, मधेपुरा होंगे, जो राशि की निकासी जिला कोषागार, मधेपुरा से बिहार कोषागार संहिता, २०११ के सुनसंगत नियमों के आलोक में करेंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी करते हुए मृतक के आश्रित के बैंक खाते में CFMS के माध्यम से अंतरित करेंगे।

भगाना -

२०

6. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।
8. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय—समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
10. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित हैं।
11. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या—५प/राज्य स्कीम—०२—०६/२०२५ के पृष्ठ संख्या०८/टी० पर दिनांक ०८/०८/२०२५ को प्राप्त है।
12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वामित्राजन

(नजर हुसैन)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : ५प/राज्य स्कीम—०२—०६/२०२५/१३(आ०) पं०रा० पटना, दिनांक १४/५/२०२५
 प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/जिला कोषागार, मधेपुरा/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा/प्रभारी पदाधिकारी—०६, ०७ (उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग) पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

१४/५/२०२५
 (नजर हुसैन)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : ५प/राज्य स्कीम—०२—०६/२०२५/१३(आ०) पं०रा० पटना, दिनांक १४/५/२०२५
 प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

१४/५/२०२५
 (नजर हुसैन)

संयुक्त सचिव

३०८